फा.सं. 4/3/2016-आईआर

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 2 सितम्बर, 2016

विषय:- केन्द्रीय सूचना आयोग में दो सूचना आयुक्तों की नियुक्ति ।

भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम) के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने एवं उसे सौंपे गए कार्यों के निष्पादन हेतु किया है । यह नई दिल्ली में स्थित है । आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं दस से अनधिक सूचना आयुक्त होंगे । केन्द्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त की शक्तियां एवं दायित्व सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार हैं ।

2. केन्द्रीय सूचना आयोग में दो सूचना आयुक्त क्रमशः दिनांक 31.12.2016 एंव 17.02.2017 को अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं| इसलिए उनके स्थान पर आयोग में दो नये सूचना आयुक्तों की नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है।

3. अधिनियम में प्रावधान है कि सूचना आयुक्त, विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होगा ।

4. इसके अतिरिक्त, सूचना आयुक्त यथास्थिति संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं होगा अथवा कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृति नहीं करेगा । यह स्पष्ट किया जाता है कि सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति से पूर्व संबंधित व्यक्ति को लाभ का पद, कोई कारोबार या व्यापार छोड़ना/बंद करना होगा ।

5. सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, पद धारण करेगा। सूचना आयुक्त को वेतन एवं भत्ते चुनाव आयुक्त के समान देय होंगे बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसके द्वारा लिए गए पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभ, यदि कोई हों, को समायोजित कर लिया जाएगा ।

6. सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए मापदंड पूरा करने वाले इच्छुक व्यक्ति अपने विवरण संलग्न प्रपत्र में अवर सचिव (आरटीआई), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को डाक द्वारा या ई-मेल usrti-dopt@nic.in के माध्यम से 3 अक्टूबर**, 2016** तक भेज सकते हैं। राज्य/केन्द्रीय सरकार या अन्य किसी संगठन के अन्तर्गत सेवारत व्यक्ति अपने विवरण उचित माध्यम से भिजवाएं (प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/राज्य/संघ शासित क्षेत्र) यदि निर्धारित तारीख से पहले आवेदन की अग्रिम प्रति भेजी जाती है तो उचित माध्यम से आवेदन यथाशीघ्र भेजे जाने चाहिए ताकि अगली कार्यवाही हेतु उन पर विचार किया जा सके|

गायत्री मिश्रा

(गायत्री मिश्रा)

निदेशक (आई.आर.)

दूरभाष: 23092755

केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर विचारार्थ भेजे जाने वाले विवरण संबंधी प्रपत्र

कृप्या नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

1. नाम :
2. जन्म तिथि :
3. वर्तमान पता :
4. संपर्क संख्या
   - क) दूरभाष (एसटीडी कोड सहित) :
   - ख) मोबाइल :
   - ग) फैक्स :
5. ई-मेल पता :
6. शैक्षिक अर्हताएं :
7. विशेषज्ञता क्षेत्र :
8. वर्तमान व्यवसाय :
9. उपलब्धियां/कार्य अनुभव (अनुबंध के अनुसार) :

तिथि :

हस्ताक्षर :

स्थान :

नाम :

अनुबंध

सूचना आयुक्त के पद हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उपलब्धियां/कार्य अनुभव का विवरण

क्रम संख्या	पद	संगठन	अवधि से	तक	उपलब्धि/अनुभव का विवरण (संक्षेप में)
1					
2					
3					
4					
5					